तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/6/23	पत्रा. आम्रपाली कम्पनी 84 निवासी [illegible] द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित कर वाद पत्र की डिक्री करवाया था। मुकदमे की कार्यवाही [illegible] पत्र का कोई महत्व नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थना पत्र 212 RTA की तहत पर खारिज किया जाता है। पत्रा. जोगल सुनार होल्ट मजदूर से काम की जानकारी हासिल करें।

सहायक कलेक्टर
[illegible] जिला [illegible]

निरस्त
2 अगस्त
26-